



अंस्ट्रेलिया में एक कैटी, विलियम बकली जेल से भागा और उसके बाद उसने अपना लगभग सारा जीवन समुद्र के किनारे एक गुफा में विताया। जेल से भागने और उसके बाद जिंदा रहने की उसकी कहानी रोचक है। बकली पर, जानते बूझते चोरी के कपड़े का थाने लेने का आरोप था। हालांकि उसका कहना था कि, वह तो केवल एक महिला के लिए कपड़ा ले जा रहा था, उसे नहीं पता था कि वो चोरी का है। फिर भी उसे 14 साल कैद की सजा दी गई और जेल भेज दिया गया। एच.एम.एस. कैलकटा जहाज से उसे सलिवन्स खाड़ी में सोनेन्टो कॉलोनी ते जाया गया। सन् 1803 में जब उसे पता चला कि उसे टैस्मैनिया भेजा जाएगा तो वह जेल से भाग निकला और स्थानीय बादरांग समुद्रात के साथ रहने लगा। कहा जाता है कि इस दौरान वह एक गुफा में ही रहा। आज इस गुफा को बकली-जे क्रेप (बकली की गुफा) कहते हैं। बैतीस साल बाद बकली बैलीनी अधिकारी के पास जॉन बैट्टमैन के शिविर में आया। उसके शरीर पर उसके अंकर, “द्वितीय...” युद्ध थे जिससे पुर्ण द्वितीय दिलाई गई है। जो 1803 में जेल से भाग गया था और जिसे मृत मान लिया गया था। बैट्टमैन ने अपना कैप्टेन सेट लियोनाहर्स से मेलबर्न शिफ्ट कर लिया। बकली को भी बाद में माफी मिल गई। उसने दो साल तक शवों और स्थानीय अधिकारिजिनल्स (सूल निवासियों) के बीच मध्यस्थान का काम किया। पर उसकी निया बटी हुई थी और दोनों ही पक्ष उस पर भरोसा नहीं करते थे। यहां से भूमंग होने के बाद वह टैस्मैनिया चला गया। जहां उसने नौकरी की और शादी की। सन् 186 में 76 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। बकली के फरार होने की कहानी आज भी अंस्ट्रेलिया में सुनी-सुनाई जाती है और इसके आधार पर एक कहावत भी है, “बकली ज़ वास”।

सूप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से दो दिन की राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि, न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर दो दिन बाद कार्यवाही की जा सकती है

- सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर यजमानिय सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता के मामले में यो निर्देश दिए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक निलम्बन की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

गैरितलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर, न्यायिक जांच कार्रवाई का नीतीजा आने तक सौम्या गुरुर के विवेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि, न्यायिक जांच रिपोर्ट में सौम्या गुरुर को दोषी मान लिया गया था। इसके बाद निगम के तत्कालीन कमिश्नर, यजमानिय सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता, (एस.एस.पी.) को खारिज किया जाए।

मामले की न्यायिक जांच में ग्रेटर मेयर घर के तत्कालीन कमिश्नर और मारपीट से जुड़े मामले में ग्रेटर माहापौर सौम्या गुरुर को 2 दिन की राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि, वो न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर एक काहवत भी करने को स्वतंत्र है।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं और उसके बाद नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय विश्वान को खारिज करने वाले नहीं करते हैं।